... अहकाम की तामील	हुक्म या कार्यवाही मय ...	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/3/22	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उभय पक्षकारान उप.। इनके अधिवक्ता उप.। तहसीलदार की सहमति हेतु पत्रावली दिनांक 14.03.2022 को पेश हो। (नरेश सोनी) सहायक कलक्टर (SDO) बालोतरा	अ.प्रि. राजपत्रित Endorsed by me Jalo
14/3/2022	वकील फरीकेन उप.। पेशकार सरकार उप.। बहस सुनी गई। वादीनी के नाम ग्राम सराणा के खेत खसरा नम्बर 1311/811 रकबा 14.11 बीघा संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। जिसमें वादीनी का नाम चमकू बेवा [illegible] कौम पालीवाल निवासी [illegible] है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान-पत्र (नरेश सोनी) सहायक कलक्टर (SDO) बालोतरा	मांगीलाल पहिचानकर्ता (राजपत्रित अधिकारी) PB; भैराराम पहिचानकर्ता (राजपत्रित अधिकारी) PB

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:29:06 IST
Reason: SelfAttested

जन आधार कार्ड, आधार कार्ड में वादीनी का नाम राम प्यारी दर्ज है, वादीनी राम प्यारी व रमकू एक ही स्व. भीखाराम की धर्मपत्नि है। वादीनी का गलत नाम दर्ज होने से नाम दुरुस्ती हेतु घोषणा का दावा पेश कर वादीनी का सही नाम राम प्यारी दर्ज कराने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी मांगीलाल, रावताराम, भेराराम पिता स्व. भीखाराम की ओर से इकबाली जवाबदावा पेश कर वादीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में अशुद्ध रमकू दर्ज है, जबकि सरकारी दस्तावेज में रामप्यारी दर्ज है, जिसे दुरुस्ती करने का निवेदन किया गया।

तहसीलदार, पचपदरा व पटवारी हल्का सराणा ने करार जांच वादीनी का अशुद्ध नाम रमकू के स्थान पर रामप्यारी दर्ज करने की राईद दी।

([illegible])
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not
Digitally signed b
Date: 2022.09.17
Reason: SelfAtte

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वादीनी के द्वारा प्रस्तुत वाद को तहसीलदार, पचपदरा की जांच रिपोर्ट व अन्य पक्षकारान की सहमति से लोक अदालत की भावना से स्वीकार कर मौजा सराणा के खेत ख.नं. 1311/811 रकबा 14.11 बीघा वादग्रस्त आराजी में वादीनी का नाम रमकू के स्थान पर रामप्यारी घोषित किया जाता है। तहसीलदार, पचपदरा तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] से कम हो। (नरेश सोनी) सहायक कलक्टर (SDO) बालोतरा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:29:06 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 3 / 2021

वादी :– रामप्यारी बेवा भीखारामजी कौम पालीवाल निवासी – सराणा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादी :–

1. मांगीलाल पुत्र भीखाराम
2. राणाराम पुत्र भीखाराम
3. भैराराम पुत्र भीखाराम सभी जातियान पालीवाल निवासीयान –सराणा तहसील पचपदरा जिला –बाडमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा ।

<u>दावा बाबत् रेकर्ड दुरस्ती</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री जालाराम प्रजापत वकील वादी मिनजानिब श्री गणपतदान चारण प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि वादीनी के द्वारा प्रस्तुत वाद को तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट व उभय पक्षकारान की सहमति से लोक अदालत की भावना से स्वीकार कर मौजा सराणा के खेत खसरा संख्या 1311/811 रकबा 14–11 बीघा वादग्रस्त आराजी में वादीनी का नाम रमकू के स्थान पर रामप्यारी घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारिख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.03.2022 को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:29:06 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपया	पै.	मुददयलाह	
स्टाम्प अरजीदावा	2/–		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1/–		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील	
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर			फीस कमिष्नर	
बबत इजराय			बाबत इजराय	
हुम्मनामा			हुम्मनामा	
मुतफरिक			मुतफरिक	
मीजान			मीजान	